बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

बिहार परिचारिका श्रेणी 'ए' के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-01010215, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में परिचारिका श्रेणी 'ए' के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट ***http://bssc.bih.nic.in*** पर आमंत्रित किये जाते है । ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

कुल रिक्तियाँ:-3757 (औपबंधिक)

अनुसूचित जाति	-	1143
अनुसूचित जनजाति	-	47
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	1375
पिछड़ा वर्ग	-	535
पिछड़ा वर्ग की महिला	-	246
सामान्य	-	411 (इसके अतिरिक्त पद आने की संभावना)

नोट:-1. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-705 (6), दिनांक-24.12.2014 के द्वारा भेजी गई 816 रिक्तियों को भी पूर्व में भेजी गई 2941 रिक्तियों के साथ जोड़ दिया गया है ।

2. सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त अधियाचनाओं द्वारा घटाई-बढ़ाई जा सकेगी ।

वेतनमान्-9300-34800, ग्रेड-पे 4600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय नर्सिगं परिषद द्वारा समय-समय पर, निर्धारित अवधि का जी0एन0एम0 में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा ।

उम्र सीमा :- दिनांक-01.08.2014 के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

(1.) आयु न्यूनतम- 21 (इक्कीस) वर्ष ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या-2530, दिनांक-29.06.2010 के अनुसार अधिकतम-(1) अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)- 40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष ।

(2.) उपरोक्त विभिन्न कोटियों के लिए उम्र सीमा में 15 वर्षो की छुट विभागीय संकल्प-703 (6), दिनांक-24.12.2014 के द्वारा दी गई है ।

(3.) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षो की छूट

अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

(4.) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

चयन की प्रक्रिया :-

आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा :-

(क)	जी0एन0एम0 कोर्स/उच्चतर डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	:-	50 अंक
(ख)	उच्चतर डिग्री (बी0एस0सी0 नर्सिग/एम0एस0सी0 नर्सिग) के लिए	:-	10 अंक
(ग)	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)	:-	25 अंक
(घ)	साक्षात्कार के लिए	:-	15 अंक
	कुल	:-	100 अंक

जी0एन0एम0/उच्चतर डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा कर किया जायेगा । यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.5=25 अंक दिये जायेंगे ।

क्वालीफाइंग मार्क्स :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में साक्षात्कार हेतु एवं साक्षात्कार में अलग-अलग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है :- सामान्य वर्ग-40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग-36.5 प्रतिशत, अ0पि0वर्ग-34 प्रतिशत, अनु0जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग-32 प्रतिशत ।

परीक्षा शुल्क :-

सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए 375/- (तीन सौ पचहत्तर) रुपये का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 100/- (एक सौ) रुपये परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करगें। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 375/- (तीन सौ पचहत्तर) रुपया निर्धारित है । अभ्यर्थी ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् चालान डाउनलोड कर भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक 15.01.2015 से 06.02.2015 तक समर्पित करेंगे । अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा । चालान की प्रति ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए आयोग के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात्

तीन प्रतियों में उपलब्ध होगा जिसको डाउनलोड कर उपयोग में लाना अनिवार्य है । किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध करके भरा हुआ चालान की प्रति मान्य नहीं होगा ।

आरक्षण :-

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक- 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे । क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र काउंसेलिंग के समय एक वर्ष के अन्दर का निर्गत होनी चाहिए ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नही किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

अन्य :-

(i) किसी उम्मीदवार के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र(Call letter) निर्गत किया जायगा । बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नही मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नही किया जा सकेगा ।

<u>अंतिम तिथि</u>:- ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की तिथि दिनांक-15.01.2015 से 04.02.2015 तथा ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक-15.01.2015 से 08.02.2015 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नही है ।

10/1/15

सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना-14

ADV. BY. /G.N.M. NEW ADV.-5